बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

दिनांक–25.06.2018 को प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बिहार राज्य में संचालित विभिन्न परियोजनाओं हेतु भू–अर्जन की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

1. **उपस्थिति पंजी के अनुसार।**

2. सर्वप्रथम बैठक में उपस्थिति सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों, एन0 एच0 ए0 आई0, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों एवं रेलवे के अधिकारियों का निदेशक, भू–अर्जन द्वारा स्वागत किया गया।

3. प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा एन0 एच0 ए0 आई0, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, रेलवे एवं एस0 एस0 बी0 द्वारा संचालित एवं कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की जिलावार एवं परियोजनावार समीक्षा की गयी।

I. **एन0 एच0–104 (चकिया–सीतामढ़ी–शिवहर) :–**

बैठक में उपस्थित संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत सीतामढ़ी जिलें के 19 राजस्व ग्रामों में 26.409 एकड़ भूमि का अर्जन किया जाना है। साथ ही 3.621 एकड़ सरकारी भूमि का हस्तांतरण किया जाना है। बैठक में उपस्थित जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के लिए 39.22 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी गयी थी परन्तु मात्र 31.02 करोड़ की ही आवश्यकता है। इसके विरूद्ध 28.20 करोड़ वितरित किया जा चुका है। मुआवजा भुगतान से संबंधित कुछ मामलों को एल0 ए0 आर0 आर0 प्राधिकार में भेजा गया है। कतिपय मामलों में आपसी विवादों के कारण मुआवजा भुगतान लंबित है। संरचनाओं से संबंधित प्राक्कलन स्वीकृति हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है। प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उन्हें 01 माह के अन्दर उक्त सभी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

इस परियोजना के अन्तर्गत शिवहर जिलें में 27–40 कि0 मी0 के अन्तर्गत प्राप्त कुल–21.55 करोड़ में से 15.19 करोड़ की राशि का वितरण किया जा चुका है। 40–48 कि0 मी0 के अन्तर्गत 15.8 करोड़ की राशि में से 14.61 करोड़ वितरित किया जा चुका है। बैठक में उपस्थित जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कतिपय मामलों में विवाद के कारण मुआवजा भुगतान लंबित है। कतिपय मामलों में संरचनाओ का मूल्यांकन किया जा रहा है। सड़क निर्माण कार्य में कोई अवरोध नहीं है। 120 मीटर भूमि से संबंधित 3ए0 प्रस्ताव प्रकाशित है। इससे संबंधित 3डी0 तत्काल प्रकाशित करने का निदेश दिया गया।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उन्हें 01 माह के अन्दर संरचनाओं का मूल्यांकन पूर्ण कराते हुए मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

इस परियोजना के अन्तर्गत मधुबनी जिलें में 80.707 एकड़ भूमि का अर्जन किया जाना हैं। जिसके लिए उपलब्ध 54 करोड़ की राशि में 47.87 करोड़ का वितरण किया गया है। परन्तु संरचनाओं का मूल्यांकन लंबित रहने के कारण भुगतान नहीं हो सका है। साथ ही सरकारी भूमि का हस्तांतरण भी लंबित है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुधबनी को 01 माह में अवशेष मुआवजा राशि का वितरण सुनिश्चित करने एवं संरचनाओं का मूल्यांकन कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

इस परियोजना के अन्तर्गत पूर्वी चम्पारण जिलें में कतिपय स्थलों पर अतिक्रमण के संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा बताया गया कि 13 भूमिहीन परिवारों को बसाने हेतु वैकल्पिक भूमि की खोज की जा रही है। उन्हें पुनर्वास योजना के तहत इस कार्य को पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

II. **एन0एच0–106 (विरपुर–विहपुर) :–**

बैठक में उपस्थित संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत सुपौल जिलें में 22.174 एकड़ भूमि का अर्जन किया जाना हैं। जिसके लिए उपलब्ध 56.97 करोड़ की राशि में 43.76 करोड़ का वितरण किया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि 1.14127 हे0 सरकारी भूमि के हस्तांतरण हेतु जिला स्तर पर कार्रवाई लंबित है। साथ ही संरचनाओं के मुआवजा भुगतान हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सुपौल को अवशेष मुआवजा राशि का भुगतान एवं सरकारी भूमि के हस्तांतरण हेतु अभिलेख प्रमण्डलीय आयुक्त के माध्यम से विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु जिला स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

इस परियोजना के अन्तर्गत मधेपुरा जिला में 17.453 एकड़ भूमि का अर्जन किया जाना हैं। जिसके लिए मुआवजा भुगतान हेतु उपलब्ध कराये गये 24.4 करोड़ की राशि में से 19.36 करोड़ रूपये का वितरण किया जा चुका है। बैठक में उपस्थित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 1.2093 हे0 सरकारी भूमि का हस्तांतरण लंबित है। बैठक में उपस्थित जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि विवादित मामलों में ही मुआवजा भुगतान लंबित है। सरकारी भूमि के हस्तांतरण से संबंधित अभिलेख त्रुटि निराकरण के उपरान्त आयुक्त कार्यालय, सहरसा को भेजा जा रहा है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा को सरकारी भूमि के हस्तांतरण हेतु अभिलेख प्रमण्डलीय आयुक्त के माध्यम से विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु जिला स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

III. **एन0 एच0–30A (फतुहा–हरनौत–बाढ़ खण्ड) :–**

बैठक में उपस्थित संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत पटना जिला एवं नालन्दा जिला में भू–अर्जन की कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में दनियांवा एवं बाढ़ बाईपास से संबंधित भूमि का मुआवजा भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किये जाने की आवश्यकता है। साथ ही इस परियोजना के अन्तर्गत 12.264 हे0 सरकारी भूमि के हस्तांतरण एवं पुल निर्माण हेतु सतत् लीज पर ली जा रही भूमि के संबंध में जिला स्तर से प्रमाण पत्र/प्रतिवेदन अपेक्षित है।

इस संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना द्वारा बताया गया कि कुल प्राप्त राशि–110.51 करोड़ के विरूद्ध 59.30 करोड़ का वितरण किया जा चुका है। शेष राशि का वितरण किया जा रहा है।

प्रधान सचिव द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को प्राथमिकता के आधार पर एक माह में दनियांवा एवं बाढ़ बाईपास से संबंधित मुआवजा भुगतान की सभी लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया एवं सरकारी भूमि के हस्तांतरण तथा सतत् लीज पर ली जा रही भूमि के संबंध में जिला स्तर पर अपर समाहर्त्ता से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

IV. **एन0 एच0–98 (अनिसाबाद–हरिहरगंज खण्ड) :–**

बैठक में उपस्थित संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत पटना, अरवल एवं औरंगाबाद जिलों में भू–अर्जन की कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में पटना जिले के विक्रम बाईपास में प्राथमिकता के आधार पर मुआवजा राशि का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। साथ ही पटना जिला में 4.67 हे0 एवं औरंगाबाद जिला में 0.285 हे0 सरकारी भूमि के हस्तांतरण हेतु कार्रवाई अपेक्षित है।

इस संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी पटना द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत पटना जिले में 62.62 एकड़ भूमि का अर्जन किया जा रहा है। जिसके लिए प्राप्त 68.77 करोड़ में से 58.23 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। 02 मौजा–मुरादपुर एवं भुसौला दानापुर में सरकारी भूमि है, जिसका हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, अरवल द्वारा बताया गया कि इस परियोजना से प्रभावित जिला परिषद् की भूमि का मुआवजा भुगतान अब तक लंबित है। साथ ही आकस्मिकता मद में वांछित राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

प्रधान सचिव द्वारा संबंधित जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर मुआवजा भुगतान के मामलों का निष्पादन एक माह के अन्दर सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया एवं सरकारी भूमि के हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध कराने हेतु जिला स्तर पर समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

V. **घोरघट पुल–मुंगेर :–**

बैठक में उपस्थित सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि घोरघट पुल के निर्माण के क्रम में 12 डी0 भूमि की आवश्यकता है। बैठक में उपस्थित जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा बताया गया कि उक्त भू–अर्जन हेतु 3A प्रस्ताव 15 दिनों में भेज दिया जायेगा।

VI. **एन0 एच0–82 (बी0 एस0 आर0 डी0 सी0) (गया–हिसुआ–राजगीर) :–**

इस परियोजना के अन्तर्गत गया जिला में 42 राजस्व ग्रामों में 69.13 हे0 रैयती भूमि का अर्जन किया जा रहा है। साथ ही इस परियोजना में 21.31 हे0 सरकारी भूमि भी सन्निहित है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गया द्वारा बताया गया कि 24 राजस्व ग्राम से संबंधित 30 प्राक्कलन प्रस्ताव स्वीकृत है एवं कुल स्वीकृत राशि–243.00 करोड़ के विरूद्ध 90.25 करोड़ का वितरण किया जा चुका है। 04 राजस्व ग्राम में सरकारी भूमि है जिसके लिए 3जी0 की आवश्यकता नहीं है। साथ ही 9.91 हे0 सरकारी भूमि का हस्तांतरण भी किया जा चुका है। शेष सरकारी भूमि सुयोग्य श्रेणी के रैयतों को बन्दोबस्त भूमि है। उनके द्वारा बताया गया कि लखनपुर से पहाड़पुर कुल–9 किलो मीटर में रिएलाईमेन्ट के कारण 3ए0 प्रस्ताव प्रकाशित किया गया है। भूमि की प्रकृति की जांच के उपरान्त 3डी0 प्रस्ताव 01 माह में तैयार कर लिया जायेगा। पुनावां बाईपास एवं मौजा–एरू में आवासीय दर पर मुआवजा की मांग रैयतों द्वारा की जा रही है। उन्हें अवशेष मुआवजा राशि का वितरण 02 माह में वितरण करने का निदेश दिया गया।

इस परियोजना के अन्तर्गत नवादा जिला में 21 राजस्व ग्रामों में 140.6 एकड़ रैयती भूमि का अर्जन किया जा रहा है। साथ ही इस परियोजना में 26.57 एकड़ सरकारी भूमि भी सन्निहित है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, नवादा द्वारा बताया गया कि 21 राजस्व ग्राम से संबंधित प्राक्कलन प्रस्ताव स्वीकृत है एवं कुल स्वीकृत राशि–97.77 करोड़ के विरूद्ध 30.5 करोड़ का वितरण किया जा चुका है। साथ ही 9.66 एकड़ सरकारी भूमि का हस्तांतरण भी किया जा चुका है। उनके द्वारा बताया गया कि छुटे हुये प्लॉट से संबंधित 3डी0 प्रस्ताव की जांच की जा रही है। उन्हें 15 दिनों में 3डी0 प्रस्ताव की जांच पूर्ण कर उपलब्ध कराने एवं अवशेष मुआवजा राशि का वितरण 02 माह में वितरण करने का निदेश दिया गया।

इस परियोजना के अन्तर्गत नालन्दा जिला में 21 राजस्व ग्रामों में 87.07 एकड़ रैयती भूमि का अर्जन किया जा रहा है। साथ ही इस परियोजना में 13.60 एकड़ सरकारी भूमि भी सन्निहित है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा बताया गया कि 21 राजस्व ग्राम से संबंधित 12 प्राक्कलन प्रस्ताव स्वीकृत है एवं कुल स्वीकृत राशि–138.73 करोड़ के विरूद्ध 68. 76 करोड़ का वितरण किया जा चुका है। साथ ही 2.32 एकड़ सरकारी भूमि का हस्तांतरण भी किया जा चुका है। उनके द्वारा बताया गया कि 01 राजस्व ग्राम से संबंधित 3जी0 प्राक्कलन प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त है। संरचनाओं के मूल्याकन से संबंधित कार्य अगली समीक्षात्मक बैठक के पूर्व सम्पन्न करने का निदेश दिया गया।

VII. **एन0 एच0–31 (बख्तियारपुर–मोकामा खण्ड) :–**

इस परियोजना के अन्तर्गत पटना जिला में भू–अर्जन की कार्रवाई के संबंध में बैठक में उपस्थित एन0 एच0 ए0 आई0 के परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत पटना जिला में कुल–587.35 एकड़ भूमि का अर्जन किया गया है।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना द्वारा इस संबंध में बताया गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत कुल–587.35 एकड़ अर्जनाधीन भूमि में से 458.14 एकड़ भूमि का मुआवजा भुगतान कर दिया गया है। शेष भूमि के भुगतान के संबंध में पृच्छा किये जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि मुआवजा भुगतान हेतु कैम्प का आयोजन करने के लिए तिथि निर्धारित की गयी है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि कुछ भू–धारियों द्वारा आवेदन एवं अन्य वांछित कागजात उपलब्ध नहीं कराने के कारण भी मुआवजा भुगतान की प्रकिया धीमी है।

इस परियोजना के परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि बकास्त भूमि के स्वामित्व निर्धारण से संबंधित कतिपय मामले निर्णय हेतु लंबित है एवं प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत सरकारी भूमि के हस्तांतरण की प्रकिया भी जिला स्तर पर लंबित है। छुटे हुये खेसरों के संबंध में बताया गया कि इससे संबंधित 3ए0 प्रस्ताव को ऑन लाईन किया जाना अपेक्षित है।

प्रधान सचिव द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को मुआवजा भुगतान के लंबित मामलों का निष्पादन 02 माह के अन्दर पूर्ण करने का निदेश दिया गया एवं सरकारी भूमि के हस्तांतरण हेतु जिला स्तर से प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को अविलंब उपलब्ध कराने हेतु अपर समाहर्त्ता एवं अन्य पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करने का निदेश दिया गया।

VIII. **औन्टा–सिमरिया के बीच गंगा नदी पर पुल एवं पहुँच पथ का निर्माण :–**

बैठक में उपस्थित संबंधित परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत कुल–44.11 हे0 (107.20 एकड़) भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उनके द्वारा इस परियोजना के लिए मुआवजा राशि के यथाशीध्र वितरण एवं 14.56 हे0 सरकारी भूमि के हस्तांतरण की प्रकिया यथाशीध्र पूर्ण करने का अनुरोध किया गया। उनके द्वारा इस परियोजना में कार्यरत अमीनों के लंबित मानदेय भुगतान के मामलों के निष्पादन का भी अनुरोध किया गया।

इस संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के लिए अर्जनाधीन 107.20 एकड़ भूमि में से 54.599 एकड़ भूमि का मुआवजा भुगतान कर दिया गया है एवं मराची में बकास्त भूमि के रैयती करण से संबंधित कतिपय मामलों का निष्पादन नहीं होने के कारण कुछ रैयतों का मुआवजा भुगतान लंबित है। सरकारी भूमि के हस्तांतरण के संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि लगभग–15.00 एकड़ के हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजा जा चुका है। शेष सरकारी भूमि से संबंधित प्रस्ताव भी आयुक्त, पटना प्रमण्डल को भेजा जा चुका है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को इस परियोजना से संबंधित मुआवजा भुगतान के लंबित मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर 01 माह के अन्दर पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

IX. **एन0 एच0–30–84 (पटना–बक्सर खण्ड) :–**

बैठक में उपस्थित परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत तीन जिलों यथा पटना, भोजपुर एवं बक्सर में भूमि का अर्जन किया जा रहा है। पटना जिला में इस परियोजना के अन्तर्गत कुल–33 कि0 मी0 सड़क निर्माण हेतु किये जा रहे 447.599 एकड़ रैयती भूमि का अर्जन किया जा रहा है। कुल स्वीकृत राशि–1213.17 करोड़ में से 712.48 करोड़ मुआवजा राशि का वितरण किया जा चुका है। परन्तु एलाईन्मेंट के पुनः निर्धारण के कारण वर्तमान में मुआवजा राशि का वितरण स्थगित है। इस परियोजना से संबंधित अधिसूचित 32 ग्रामों में 02 ग्रामों में भू–अर्जन की कार्रवाई एन0 एच0 ए0 आई0 द्वारा स्थगित है। शेष 30 ग्रामों का संशोधित 3जी0 एन0 एच0 ए0 आई0 की स्वीकृति हेतु भेजा गया है। जिसमें 03 मौजा–पुरखोतीमपुर पैनाठी, अदलीपुर एवं दरियापुर का संशोधित 3जी0 एन0 एच0 ए0 आई0 द्वारा स्थगित कर दिया गया है। शेष की स्वीकृति अप्राप्त है।

इस परियोजना के अन्तर्गत भोजपुर जिले में कोईलवर–भोजपुर खण्ड तथा भोजपुर–बक्सर खण्ड में कुल–592.83 एकड़ भूमि का अर्जन किया जा रहा है। जिसके लिए अब तक कुल प्राप्त राशि 145.02 करोड़ में से 108.15 करोड़ का वितरण किया जा चुका है। इस परियोजना के संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा बताया गया कि 9.304

हे0 (23 एकड़) भूमि एलाईन्मेंट परिवर्तन से प्रभावित है एवं इस परियोजना में छुटे हुए कुल प्लॉटों का रकवा–15.306 हे0 है। 38 राजस्व ग्रामों का दिनांक–01.01.2014 के दर पर संशोधित प्राक्कलन स्वीकृत है। लगभग 23 एकड़ पर एन0 एच0 ए0 आई0 द्वारा कब्रिस्तान/ऑफसेट के कारण भुगतान पर रोक लगा दिया गया है तथा कई मामलें में आब्रिट्रेशन वाद चल रहा है। जिसके कारण मुआवजा भुगतान प्रभावित है। 241.72 एकड़ का दखल कब्जा दे दिया गया है।

संबंधित परियोजना निदेशक द्वारा इस परियोजना से संबंधित मुआवजा भुगतान के लंबित मामलों के अविलंब निष्पादन एवं त्वरित गति से मुआवजा भुगतान की प्रकिया पूर्ण करने का अनुरोध किया गया। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि लगभग 200 छुटे हुए प्लॉटों के भू–अर्जन हेतु 3ए0 प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा बताया गया कि लगभग 5.814 एकड़ भूमि से संबंधित 86 प्लॉटों का प्राक्कलन तैयार नहीं किया जा सका है क्योकि उक्त प्लॉटों से संबंधित प्रकाशित 3डी0 अधिसूचना के हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रकाशन में भूमि के स्वरूप में भिन्नता है। इस संबंध में क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा सुझाव दिया गया कि उक्त 86 प्लॉटों के प्रकृति की जॉच जिला स्तरीय समिति द्वारा करा लिया जाना अपेक्षित होगा ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो। परियोजना निदेशक को इस संबंध में CALA, भोजपुर को अनुरोध पत्र भेजने का निदेश दिया गया ।

इस परियोजना से संबंधित बक्सर जिले में किये जा रहे भू–अर्जन के संबंध में परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि सड़क निर्माण का काम प्रारंभ हो चुका है। परन्तु 12 ग्रामों से संबंधित 3जी0 प्राक्कलन प्रस्ताव लंबित है। उनके द्वारा भोजपुर, कादिम एवं तुड़िगंज में मुआवजा राशि में अप्रत्याशित वृद्धि के कारणों की समीक्षा का अनुरोध किया गया। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि भूमि के प्रकृति के निर्धारण के लंबित मामलों में निर्णय हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा स्थल निरीक्षण कर लिया गया है एवं यथाशीघ्र लंबित 3जी0 प्राक्कलन प्रस्ताव तैयार कर लिया जायेगा। इस परियोजना में अब तक 153.63 करोड़ वितरित किया जा चुका है। मुआवजा भुगतान के संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बक्सर द्वारा बताया गया कि कतिपय मामलों में रैयतों द्वारा आवासीय दर पर मुआवजा की मांग की जा रही है। भोजपुर कादिम से संबंधित मुआवजा राशि की गणना के संबंध में CALA, बक्सर द्वारा भेजे गये प्राक्कलन की समीक्षा करने का आदेश परियोजना निदेशक को दिया गया। सारीमपुर ग्राम में सड़क के एलाईमेन्ट के संबंध में एन0 एच0 ए0 आई0 का निर्णय यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भुमि सुधार विभाग द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बक्सर को इस परियोजना की शेष राशि का वितरण 02 माह के अन्दर पूर्ण करते हुये भूमि का दखल–कब्जा उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

X. <u>एन0 एच0–83 (पटना–गया–डोभी खण्ड) :–</u>

बैठक में उपस्थित संबंधित परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत पटना, जहानाबाद एवं गया जिले में भू–अर्जन की कार्रवाई की जा रही है। इस परियोजना से संबंधित लंबित मामलों के संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि मुआवजा भुगतान तीव्र गति से करने की आवश्यकता है। साथ ही सरकारी भूमि का हस्तांतरण लंबित है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि आर्बिट्रेशन से संबंधित कई मामलें अपर समाहर्त्ता के न्यायालय में लंबित हैं।

बैठक में उपस्थित जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के लिए 452.18 एकड़ भूमि का अर्जन किया जा रहा है। इस परियोजना हेतु प्राप्त 1261.17 करोड़ में से 931.75 करोड़ राशि का वितरण किया जा चुका है जिसमें 315.04 एकड़ रकवा सन्निहित है। 18 ग्रामों से संबंधित संशोधित प्राक्कलन प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित है एवं छुटे हुए प्लॉटों की जॉंच की जा रही है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को संरचनाओं के मूल्यांकन के लंबित मामलों का अविलंब निष्पादन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही पटना जिला के अन्तर्गत 11.52 हे0 सरकारी भूमि के हस्तांतरण हेतु अपर समाहर्त्ता, पटना एवं संबंधित अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित करने हुए प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

बैठक में उपस्थित जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा बताया गया कि जहानाबाद जिलें में 189.645 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। जिसके लिए कुल प्राप्त राशि 267.35 करोड़ में से 242.11 करोड़ राशि का वितरण किया जा चुका है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत छुटे हुए खेसरों की जाँच की जा रही है। 47.475 हे0 सरकारी भूमि के हस्तांतरण हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 08 राजस्व ग्रामों से संबंधित संशोधित प्राक्कलन प्रस्ताव पर स्वीकृति अप्राप्त है। मुआवजा भुगतान की धीमी गति के संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि एम0 भी0 आर0 कम होने के कारण रैयतों द्वारा मुआवजा राशि प्राप्त करने में अभिरूची नहीं ली जा रही है। भू–धारियों द्वारा मुआवजा भुगतान आवासीय या व्यावसायीक दर पर करने की मांग की जा रही है।

इस बैठक में उपस्थित जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गया द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के लिए गया जिला में कुल–214.498 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है एवं कुल स्वीकृत राशि 342.91 करोड़ (3G के अनुसार) के विरूद्ध 244.5 करोड़ का वितरण किया जा चुका है। सरकारी भूमि के संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 117 हे0 सरकारी भूमि में से 78.78 हे0 का हस्तांतरण किया जा चुका है। 45 हे0 भूमि जिला परिषद् की है। जिसके लिए मुआवजा भुगतान जिला परिषद् को किया जाना अपेक्षित है। 45 हे0 जिला परिषद् की भूमि में से 35.916 हे0 भूमि का हस्तांतरण किया जा चुका है। पूर्व में चिन्हित कतिपय सरकारी भूमि वास्तव में रैयती भूमि है। जिसके लिए संबंधित रैयतों को मुआवजा का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। शेष सरकारी भूमि में से 7 हे0 भूमि के हस्तांतरण का प्रस्ताव राजस्व विभाग को भेजा गया है। मुआवजा भुगतान की धीमी गति के संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि बोध गया क्षेत्र में भूमि का दर काफी कम होने के कारण रैयतों द्वारा मुआवजा राशि प्राप्त नहीं किया जा रहा है। बोधगया की भूमि का वर्गीकरण/एम0भी0आर0 पर निर्णय लंबित है। आर्बिट्रेटर द्वारा पारित कई आदेशों के आलोक में मुआवजा भुगतान के संबंध में एन0 एच0 ए0 आई0 के परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि उक्त आदेश के विरूद्ध एन0 एच0 ए0 आई0 द्वारा अपील दाखिल करने का निर्णय लिया गया है। शिलॉन्जा, लोदीपुर एवं वाजिदपुर में सरकारी भूमि पर अवस्थित संरचनाओं के मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। छुटे हुए प्लॉट के भू–अर्जन के संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नये सिरे से भू–अर्जन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है।

परियोजना निदेशक द्वारा गया बाईपास के दोनो सिरो पर प्राथमिकता के आधार पर भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

प्रधान सचिव द्वारा भूमि की प्रकृति से संबंधित समस्याओं का निराकरण जिला स्तर पर गठित समिति के माध्यम से अविलंब कराने का निदेश दिया गया। उनके द्वारा गया जिला से संबंधित 8 राजस्व ग्रामों के लंबित प्राक्कलन प्रस्तावों पर अविलंब स्वीकृति देने का निदेश परियोजना निदेशक को दिया गया।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा तीनों जिलों के जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को इस परियोजना से संबंधित मुआवजा भुगतान एवं भूमि के वास्तविक दखल–कब्जा से संबंधित सभी मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर 02 माह में सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

XI. <u>एन0 एच0–2 (औरंगाबाद–चोरदाहा खण्ड) :–</u>

बैठक में उपस्थित संबंधित परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत गया एवं औरंगाबाद जिले में भू–अर्जन की कार्रवाई की जा रही है। उनके द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया काफी धीमी है एवं गया जिले के आमश अंचल में पूर्व में निर्गत अधिसूचना व्ययगत हो चुकी है। साथ ही सरकारी भूमि की हस्तांतरण की प्रक्रिया भी लंबित है।

बैठक में उपस्थित जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गया द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत 64 राजस्व ग्रामों में 39.01 हे0 भूमि के लिए अधिघोषणा का प्रकाशन किया गया था। साथ ही इस परियोजना के अन्तर्गत 63.378 हे0 सरकारी भूमि भी सन्निहित है। कुल स्वीकृत राशि–201 करोड़ के विरूद्ध 90.5 करोड़ का वितरण किया जा चुका है। 11.72 हे0 सरकारी भूमि का हस्तांतरण भी किया जा चुका है। 26 राजस्व ग्रामों में मुआवजा भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। आमश अंचल में अवस्थित भूमि के संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि कई ग्रामों में सी0 एस0 खतियान के आधार पर भू–अर्जन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी थी जबकि उन ग्रामों में चकबंदी की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है।

इस संबंध में बैठक में स्पष्ट किया गया कि जिन राजस्व ग्रामों में चकबंदी की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, उन ग्रामों में राजस्व संबंधित सभी कार्य चकबंदी खतियान के आधार पर ही सम्पादित किया जाना अपेक्षित है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गया द्वारा चकबंदी से प्रभावित राजस्व ग्रामों में नये सिरे से भू–अर्जन की प्रकिया प्रारम्भ करने का प्रस्ताव दिया गया। प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा इस संबंध में यथाशीध्र निर्णय लेते हुए अग्रतर कार्रवाई प्रारम्भ करने का निदेश परियोजना निदेशक को दिया गया।

मुआवजा भुगतान की धीमी गति के संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गया द्वारा बताया गया कि रैयतों द्वारा भूमि का दर काफी कम होने के कारण मुआवजा राशि प्राप्त नहीं की जा रही है एवं आवासीय/व्यावसायिक दर पर मुआवजा की मांग की जा रही है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गया द्वारा यह भी बताया गया कि डोभी क्षेत्र में भूमि की प्रकृति से संबंधित विवादों के कारण मुआवजा भुगतान की प्रकिया बाधित है जबकि शेरघाटी एवं बाराचटट्री क्षेत्र में मुआवजा भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

प्रधान सचिव द्वारा उन्हें मुआवजा भुगतान हेतु शिविर आयोजित कराने का निदेश दिया गया। साथ ही शुद्ध रूप से चिन्हित अवशेष सरकारी भूमि के हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव जिला स्तर से तैयार कराकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

इस परियोजना से संबंधित औरंगाबाद जिलें के 09 राजस्व ग्रामो में कुल–16.66 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। साथ ही इस परियोजना में 15.70 हे0 सरकारी भूमि भी सन्निहित है। कुल स्वीकृत राशि–90.88 करोड़ के विरूद्ध 78.36 करोड़ का वितरण किया जा चुका है। 8.01 हे0 सरकारी भूमि का हस्तांतरण किया जा चुका है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अवशेष मुआवजा राशि का भुगतान एवं सरकारी भूमि के हस्तांतरण की कार्रवाई 02 माह में पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

XII. <u>एन0 एच0–2 (औरंगाबाद–वाराणसी खण्ड) :–</u>

बैठक में उपस्थित संबंधित परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत औरंगाबाद, रोहतास एवं कैमूर जिले में भू–अर्जन की कार्रवाई की जा रही है।

औरंगाबाद जिलें में 26 राजस्व ग्रामें में कुल–44.1417 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। साथ ही इस परियोजना में 37.1400 हे0 सरकारी भूमि भी सन्निहित है। कुल स्वीकृत राशि–322.41 करोड़ के विरूद्ध 208.15 करोड़ का वितरण किया जा चुका है। 3.4200 हे0 सरकारी भूमि का हस्तांतरण किया जा चुका है। बैठक में उपस्थित परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि 23 राजस्व ग्रामों से संबंधित संशोधित प्राक्कलन प्रस्ताव कतिपय त्रुटियों के निराकरण हेतु CALA, औरंगाबाद को वापस किया गया है। CALA, औरंगाबाद द्वारा इस संबंध में बताया गया कि 06 प्रस्ताव भेजा जा रहा है एवं शेष 17 प्रस्ताव 01 माह के अन्दर स्वीकृति

हेतु भेज दिया जायेगा। छुटे हुये खेसरों से संबंधित प्राक्कलन प्रस्ताव के संबंध में CALA, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि 30 प्रस्तावों में से 20 पर स्वीकृति प्राप्त है। 05 प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित है। संरचनाओं से संबंधित प्राक्कलन के संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि जुलाई माह में इससे संबंधित प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेज दिया जायेगा।

रोहतास जिले में इस परियोजना के संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, रोहतास द्वारा बताया गया कि छुटे हुये खेसरों एवं टोल प्लाजा से संबंधित कुल–30 प्रस्तावों में से 01 स्वीकृत है एवं शेष 29 पर स्वीकृति अपेक्षित है। भूमि की प्रकृति निर्धारण से संबंधित मामलो का निष्पादन कर लिया गया है एवं प्राक्कलन प्रस्ताव स्वीकृति हेतु एन0 एच0 ए0 आई0 को भेजा जा रहा है। क्षेत्रीय पदाधिकारी, एन0 एच0 ए0 आई0 द्वारा 01 माह में प्राक्कलन स्वीकृति की कार्रवाई पूर्ण करने का निदेश परियोजना निदेशक को दिया गया।

कैमूर जिले में इस परियोजना के संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, कैमूर द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत कुल–23.53 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है। साथ ही 4.96 हे0 सरकारी भूमि का हस्तांतरण भी अपेक्षित है। कुल–34 प्राक्कलन प्रस्तावों में से 06 पर स्वीकृति प्राप्त है एवं शेष 28 स्वीकृति हेतु लंबित है। परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि 19 प्रस्ताव भूमि के प्रकृति निर्धारण से संबंधित कतिपय बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने के कारण लंबित हैं एवं 09 प्रस्तावों में दर निर्धारण की प्रक्रिया में परिलक्षित त्रुटि का निराकरण अपेक्षित है। छुटे हुये खेसरों के संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, कैमूर द्वारा बताया गया कि 25 राजस्व ग्रामों में से 13 राजस्व ग्रामों से संबंधित प्राक्कलन प्रस्ताव स्वीकृति हेतु एन0 एच0 ए0 आई0 को भेज दिया गया है एवं शेष 12 ग्रामों से संबंधित प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जिसे जुलाई माह में परियोजना निदेशक को भेज दिया जायेगा।

प्रधान सचिव द्वारा इस परियोजना से संबंधित मुआवजा भुगतान एवं प्राक्कलन स्वीकृति से संबंधित लंबित मामलों में सभी आवश्यक कार्रवाई 02 माह के अन्दर पूर्ण करने का निदेश संबंधित जिला भू–अर्जन पदधिकारियों एवं परियोजना निदेशक को दिया गया।

XIII. <u>एन0 एच0–85 (छपरा–गोपालगंज खण्ड) :–</u>

इस परियोजना के अन्तर्गत गोपालगंज जिला में भू–अर्जन की कार्रवाई के संबंध में बैठक में उपस्थित एन0 एच0 ए0 आई0 के परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत गोपालगंज जिला में कुल–35.31 हे0 रैयती भूमि का अर्जन किया जा रहा है। साथ ही 15.132 हे0 सरकारी भूमि का हस्तांतरण किया जाना भी अपेक्षित है। अब तक स्वीकृत 32.74 करोड़ के विरूद्ध 23.47 करोड़ की राशि का वितरण किया जा चुका है। इस परियोजना को यथाशीघ्र पूर्ण करने हेतु शेष मुआवजा राशि के भुगतान की कार्रवाई में तीव्रता लाने की आवश्यकता है। उनके द्वारा गोपालगंज बाईपास के 4 कि0मी0 एलाईन्मेंट में थावे तथा गोपालगंज प्रखण्ड में भू–धारियों का मुआवजा भुगतान अद्यतन राजस्व अभिलेखों यथा भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र उपलब्ध नही होने के कारण लंबित रहने के संबंध में अविलंब वांछित कार्रवाई किये जाने का अनुरोध किया गया। साथ ही मीरगंज हरखौली में भूमि के प्रकृति निर्धारण एवं दर निर्धारण के संबंध में यथाशीघ्र निर्णय का भी अनुरोध किया गया। परियोजना निदेशक द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय में लंबित छुटे हुए खेसरों से संबंधित 3D अधिसूचना प्रारूप के जाँच की कार्रवाई अविलंब निष्पादित करने का अनुरोध किया गया।

इस संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा बताया गया कि मुआवजा भुगतान हेतु कैम्प का आयोजन करने के लिए तिथि निर्धारित की गयी है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि कुछ भू–धारियों द्वारा आवेदन एवं अन्य वांछित कागजात उपलब्ध नहीं कराने के कारण भी मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया धीमी है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज को इस परियोजना से संबंधित 3डी0 अधिसूचना प्रारूप 15 दिनों के अन्दर

परियोजना निदेशक को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही उन्हें मुआवजा भुगतान एवं दर निर्धारण से संबंधित सभी मामलों का निष्पादन 01 माह के अन्दर सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाने का निदेश भी दिया गया।

परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत सीवान जिलें में 76.14 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। जिसके लिए उपलब्ध करायी गयी 111.76 करोड में से 82.83 करोड़ की राशि का वितरण किया जा चुका है। उनके द्वारा बताया गया कि शेष मुआवजा राशि के भुगतान में तीव्रता लाने की आवश्यकता है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि 03 ग्रामों का दखल–कब्जा दिया जाना लंबित है। इस परियोजना से संबंधित छुटे हुए खेसरों के लिए 3जी0 प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है। उनके द्वारा जिरात एवं डीह वासगीत भूमि के स्वामित्व के संबंध में विभागीय मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया गया।

इस संबंध में प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीवान को शेष मुआवजा राशि का भुगतान यथाशीघ्र सुनिश्चित करने हेतु कैम्प आयोजित करने का निदेश दिया गया।

इस परियोजना के अन्तर्गत सारण जिले में कुल–31.148 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है जिसके लिए उपलब्ध कराये गये 22.79 करोड़ में से अब तक 17.11 करोड़ का वितरण किया जा चुका है। साथ ही 1.02 हे0 सरकारी भूमि का हस्तांतरण भी अपेक्षित है। परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि इस परियोजना से संबंधित छुटे हुए खेसरों के लिए 3जी0 प्रस्ताव जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय में लंबित है जिसे शीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सारण को शेष मुआवजा राशि का भुगतान यथाशीघ्र सुनिश्चित करने हेतु कैम्प आयोजित करने का निदेश दिया गया। साथ ही लंबित 3जी0 प्रस्तावों को 15 दिनों के अन्दर परियोजना निदेशक को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

XIV. **एन0 एच0–77 (हाजीपुर–मुजफ्फरपुर खण्ड) :–**

इस परियोजना के संबंध में परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि मुजफ्फरपुर जिले में कुल–123.76 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है, जिसके लिए कुल उपलब्ध करायी गयी राशि–177.50 करोड़ के विरूद्ध अब तक 72.08 करोड़ का वितरण किया जा चुका है। मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित भू–अर्जन के लंबित मामलों के संबंध में परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि मुजफ्फरपुर–बाईपास में रैयतों द्वारा व्यवसायिक/आवासीय दर पर मुआवजा की मांग की जा रही है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि भूमि की प्रकृति के संबंध में जिला स्तरीय समिति द्वारा 3 बार स्थल निरीक्षण किया गया है एवं अलग–अलग प्रतिवेदन दिये जाने के कारण प्रतिवेदन में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। साथ ही प्राक्कलन स्वीकृति को ले कर भी स्थिति स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता है। बैठक में उपस्थित क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि गतिरोध को दूर करने हेतु उनके द्वारा एक उच्चस्तरीय समिति के गठन हेतु प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग से अनुरोध किया गया है। यह भी बताया गया कि 215 रैयतों द्वारा आर्बिट्रेशन वाद दायर किया गया जिसमें कई मामलों में एन0 एच0 ए0 आई0 द्वारा आर्बिट्रेटर द्वारा पारित आदेश को व्यवहार न्यायालय में चुनौती दी गयी है। मुजफ्फरपुर जिलें में इस परियोजना के अन्तर्गत छुटे हुए खेसरों के संबंध में प्राक्कलन प्रस्ताव पर कार्रवाई लंबित है।

बैठक में उपस्थित जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि इस परियोजना से संबंधित विवादों को हल करने हेतु सचिव, पथ निर्माण विभाग द्वारा दिये गये निदेशों के आलोक में स्थानीय स्तर पर संबंधित रैयतों से मुआवजा राशि के बिन्दु पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। प्राक्कलन स्वीकृति के संबंध में सभी तथ्यों से एन0 एच0 ए0 आई0 को अवगत कराया जा चुका है।

परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि इस परियोजना में वैशाली जिलें में 53.492 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उनके द्वारा यह बताया गया कि सराय में स्थानीय नागरिकों द्वारा कार्य में बाधा पहुचाई जा रही है जिसके कारण स्थानीय जिला प्रशासन से सहयोग अपेक्षित है। उनके द्वारा यह भी बताया गया की प्लॉट नं0–174 से संबंधित मामला समाहर्त्ता, वैशाली के न्यायालय में लंबित है, जिस पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

बैठक में उपस्थित जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, वैशाली द्वारा बताया गया कि सराय बाजार में मुआवजा राशि का शत्–प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है। कतिपय मामलो कों एल0 ए0 आर0 आर0 प्राधिकार में संदर्भित किया गया है एवं आर्बीट्रेटर द्वारा पारित कतिपय आदेशों पर एन0 एच0 ए0 आई0 की स्वीकृति लंबित है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, वैशाली को सराय बाजार में कार्य कराने में आ रही बाधाओं को दूर करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

XV. **एन0 एच0–77 (मुजफ्फरपुर–सोनवर्षा खण्ड) :–**

इस परियोजना के अन्तर्गत सीतामढ़ी जिलें के 11 ग्रामों में अब तक मुआवजा भुगतान लंबित रहने के संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा बताया गया कि उक्त 11 ग्रामों से संबंधित प्राक्कलन प्रस्ताव एन0 एच0 ए0 आई0 के पास लंबित है। जिसके कारण अग्रतर कार्रवाई नहीं की जा सकी है। इस संबंध में बैठक में उपस्थित परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि राजस्व ग्राम को इकाई मान कर संशोधित प्राक्कलन प्रस्ताव तैयार किया गया है। जबकि सम्पूर्ण परियोजना को एक इकाई मान कर मुआवजा भुगतान की समीक्षा की जानी चाहिए एवं तद्नुसार प्राक्कलन प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए। उनके द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्पष्ट दिशानिर्देश निर्गत किये जा चुकें हैं, जिनका अनुपालन अपेक्षित है।

इस परियोजना के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर जिलें के कुल 13 राजस्व ग्रामों में कुल–53. 399 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि उक्त परियोजना में प्राप्त कुल राशि–76.51 करोड़ में 62.01 करोड़ का वितरण किया जा चुका है। स्वत्व संबंधी विवाद के कारण कुछ भू–धारियों का भुगतान लंबित है। शेष राशि–14.50 करोड़ का भुगतान तभी संभव है जब 10 ग्रामों का प्राक्कलन एन0 एच0 ए0 आई0 द्वारा स्वीकृत किया जायेगा तथा राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

XVI. **एन0 एच0–102 (छपरा–रेवाघाट मुजफ्फरपुर खण्ड) :–**

इस परियोजना के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर एवं सारण जिलें में भू–अर्जन की कार्रवाई की जा रही है। संबंधित परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि मुजफ्फरपुर जिले में इस परियोजना के अन्तर्गत 5.344 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है, जिसके लिए उपलब्ध कराये गये 18.97 करोड़ में से 17.03 करोड़ का वितरण किया जा चुका है। साथ ही 0.066 हे0 सरकारी भूमि का हस्तांतरण अपेक्षित है।

बैठक में उपस्थित जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत मौजा–सादीपुर में अवस्थित संरचना के प्राक्कलन का अनुमोदन अप्राप्त है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सरकारी भूमि के हस्तांतरण हेतु अभिलेख तैयार कराकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही दखल–कब्जा के लंबित मामलें का निष्पादन करने एवं शेष मुआवजा राशि का भुगतान 01 माह के अन्दर सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

इस परियोजना के अन्तर्गत सारण जिलें में कुल–34.467 हे0 रैयती भूमि का अर्जन किया जा रहा है। जिसके लिए उपलब्ध कराये गये 128.16 करोड़ में से 88.49 करोड़ की

राशि का वितरण किया जा चुका है। साथ ही 1.979 हे0 सरकारी भूमि का हस्तांतरण भी अपेक्षित है। परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि शेष राशि को तीव्रता पूर्वक वितरित किये जाने की आवश्यकता है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि मौजा–कटसा में संरचना का मूल्याकन लंबित है।

प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सारण को अवशेष मुआवजा राशि 02 माह के अन्दर वितरित किये जाने तथा इस परियोजना से संबंधित अन्य समस्याओं के त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किये जाने का निदेश दिया गया।

XVII. **एन0 एच0–19 (छपरा–हाजीपुर खण्ड) :–**

इस परियोजना के अन्तर्गत सारण जिलें में कुल 344.78 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है जिसके लिए अब तक उपलब्ध कराये गये 340.87 करोड़ की राशि में से 312.42 करोड़ की राशि का वितरण किया जा चुका है। साथ ही 27.022 हे0 सरकारी भूमि का हस्तांतरण भी अपेक्षित है। बैठक में उपस्थित परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि विशनपुरा ग्राम में अतिक्रमण को हटाये जाने की आवश्यकता है। सुमेरपट्टी में नये एलाईन्मेंट से प्रभावित रैयतों द्वारा मुआवजा भुगतान से संबंधित नोटिस लेने से ईन्कार कर दिया गया है। परमानन्दपुर एवं मुरथान से संबंधित कतिपय मामलें आर्बिट्रेटर के न्यायालय में लंबित हैं। 30–35 रैयतों के मामले स्थानीय व्यवहार न्यायालय में लंबित है। कतिपय मामलों में राजस्व कागजात उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण मुआवजा भुगतान की कार्रवाई लंबित है। कुछ स्थलों पर एलाईन्मेंट से बाहर की भूमि का 3डी0 अधिसूचना निर्गत कर दिया गया। जिसकी जाँच की जा रही है एवं छुटे हुए खेसरों के संबंध में एलाईन्मेंट की जाँच के उपरान्त कार्रवाई की जायेगी।

बैठक में उपस्थित जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सारण द्वारा बताया गया कि अवशेष मुआवजा राशि के भुगतान हेतु कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। विशनपुरा में अतिक्रमण हटाने हेतु समाहर्त्ता द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है एवं संबंधित अतिक्रमण कारियों को नोटिस निर्गत किया जा चुका है। 28 ग्रामों में छुटे हुए खेसरों के अर्जन हेतु 3जी0 प्रस्ताव स्वीकृति हेतु एन0 एच0 ए0 आई0 को भेजा गया है। शेष प्राक्कलन प्रस्ताव 01 माह के अन्दर तैयार कर स्वीकृति हेतु भेज दिया जायेगा।

XVIII. **एन0एच0–107 (सहरसा–मधेपुर–खगड़िया एवं पूर्णियाँ) :–**

इस परियोजना के अन्तर्गत सहरसा जिलें में कुल–16 राजस्व ग्रामों में 76.84 हे0 भूमि के अर्जन से संबंधित प्राक्कलन प्रस्ताव CALA के स्तर पर लंबित है। बैठक में उपस्थित जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सहरसा द्वारा बताया गया कि भूमि की प्रकृति से संबंधित मामलों का निष्पादन किया जा रहा है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सहरसा को सभी राजस्व ग्रामों से संबंधित 3जी0 प्राक्कलन प्रस्ताव 01 माह में तैयार कर परियोजना निदेशक को भेजने का निदेश दिया गया।

इस परियोजना से संबंधित मधेपुरा जिलें में 15 राजस्व ग्रामों में भू–अर्जन की कार्रवाई के संबंध में जिला भू अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि 03 राजस्व ग्रामों के लिए प्राक्कलन स्वीकृत है एवं मुआवजा भुगतान हेतु प्राप्त 17.50 करोड़ में से 7.76 करोड़ का वितरण किया जा चुका है। 12 राजस्व ग्रामों से संबंधित प्राक्कलन प्रस्ताव एन0 एच0 ए0 आई0 में स्वीकृति हेतु लंबित है। बैठक में उपस्थित परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि सभी प्राक्कलन प्रस्ताव त्रुटियों के निराकरण हेतु CALA को वापस किया गया है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा इस परियोजना के लिए उपलब्ध करायी गयी शेष राशि 01 माह तक वितरित करने का निदेश जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा को दिया गया। साथ ही दर निर्धारण से संबंधित मामलों का निष्पादन संयुक्त बैठक कर एक सप्ताह के अन्दर सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

इस परियोजना के अन्तर्गत खगड़िया जिलें में मात्र 01 राजस्व ग्राम में भू-अर्जन किया जा रहा है, जिससे संबंधित प्राक्कलन प्रस्ताव स्वीकृत है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को यथाशीघ्र मुआवजा राशि वितरित करने का निदेश दिया गया।

इस परियोजना के अन्तर्गत पूर्णियाँ जिले में 06 राजस्व ग्राम में भू-अर्जन किया जा रहा है, जिससे संबंधित 3जी0 प्राक्कलन प्रस्ताव स्वीकृति हेतु एन0 एच0 ए0 आई0 में लंबित है।

XIX. **एन0एच0-57A (फारबिसगंज-जोगवनी खण्ड) :-**

बैठक में उपस्थित संबंधित परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत अररिया जिलें में छुटे हुए प्लॉट से संबंधित 3डी0 प्रस्ताव सत्यापन हेतु CALA अररिया के कार्यालय में लंबित है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि कतिपय संरचनाओं का मूल्याकण भी लंबित है। 15 संरचनाओं से संबंधित 1.02 करोड़ की राशि स्वीकृति के उपरान्त वितरण हेतु CALA अररिया के कार्यालय में लंबित है। बैठक में उपस्थित जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अररिया द्वारा बताया गया कि कतिपय रैयतों द्वारा संरचना से संबंधित भुगतान प्राप्त नहीं किया जा रहा है। 4.3 हे0 भूमि से संबंधित लंबित 3डी0 प्रस्ताव पर प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन किया जा रहा है। 15 दिनों के अन्दर आपत्ति का निष्पादन कर अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अररिया को छुटे हुए प्लॉट से संबंधित 3डी0 प्रस्ताव 15 दिनों के अन्दर परियोजना निदेशक को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया एवं माह-अगस्त तक प्राक्कलन स्वीकृति एवं मुआवजा भुगतान से संबंधित सभी कार्रवाई निश्चित रूप से पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

XX. **भारतमाला परियोजना (चकिया-बैरगनिया खण्ड) :-**

बैठक में उपस्थित संबंधित परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत मोतिहारी जिले में 3A प्रस्ताव की जाँच प्रक्रियाधीन है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मोतिहारी द्वारा बताया गया कि 15 दिनों में 3A प्रस्ताव की जाँच की कार्रवाई पूर्ण कर प्रस्ताव परियोजना निदेशक को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

XXI. **पिपराकोठी रक्सौल पथ :-**

इस परियोजना के संबंध में बैठक में उपस्थित संबंधित परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि छपवा बाईपास में 2.31 हे0 भूमि से संबंधित मुआवजा भुगतान लंबित रहने के कारण भूमि पर वास्तविक दखल-कब्जा प्राप्त नहीं हो सका है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मोतिहारी को स्थल निरीक्षण कर मुआवजा भुगतान हेतु 15 दिनों के अन्दर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

XXII. **एन0 एच0-527C (मझोली-दरभंगा-चोरौत) :-**

इस परियोजना के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर जिलें में 85.85 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। 22 ग्रामों से संबंधित 3जी0 प्राक्कलन प्रस्ताव एन0 एच0 ए0 आई0 को भेजा गया है तथा एन0 एच0 ए0 आई0 द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन का अनुमोदन करते हुए राशि उपलब्ध नहीं कराया गया है।

इस परियोजना के अन्तर्गत मधुबनी जिला में 7.674 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। जिससे संबंधित 3जी0 प्राक्कलन प्रस्ताव स्वीकृति हेतु एन0 एच0 ए0 आई0 के स्तर पर लंबित है।

इस परियोजना के अन्तर्गत दरभंगा जिला में 8.53 हे0 रैयती भूमि का अर्जन किया जा रहा है। जिससे संबंधित 3जी0 प्राक्कलन प्रस्ताव स्वीकृति हेतु एन0 एच0 ए0 आई0 के स्तर पर लंबित है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा यथाशीघ्र प्राक्कलन स्वीकृत कर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

XXIII. **एन0 एच0–82 (बिहारशरीफ–बरबीघा–मोकामा खण्ड) :–**

बैठक में उपस्थित संबंधित परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत शेखपुरा जिला में रामपुर, शिंडा, केवडी एवं दयालीबीघा में कुछ स्थलों पर संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई अपेक्षित है। उनके द्वारा मुआवजा भुगतान के लंबित मामलों के अविलंब निष्पादन का अनुरोध किया गया। बैठक में उपस्थित जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत उपलब्ध 180.11 करोड़ में से 107.73 करोड़ का वितरण किया जा चुका है। पुलिस बल एवं दंडाधिकारी की नियुक्ति कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 15 दिनों के भीतर पूर्ण कर ली जायेगी।

नालन्दा जिले के संबंध में बैठक में उपस्थित जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि टुंगी में एलाईमेन्ट से संबंधित समस्या के निराकरण हेतु नया भू–अर्जन प्लान उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। इस परियोजना में कुल प्राप्त राशि–143.85 करोड़ में से 130.52 करोड़ का वितरण किया जा चुका है। सारी, सरमेरा एवं कैला में अतिक्रमण हटाने के संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि 15 जुलाई तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूर्ण कर ली जायेगी।

XXIV. **एन0 एच0–131A (नरेनपुर–पूर्णियाँ–कटिहार) :–**

इस परियोजना के अन्तर्गत पूर्णियाँ जिला में भू–अर्जन की कार्रवाई के संबंध में बैठक में उपस्थित एन0 एच0 ए0 आई0 के परियोजना निदेशक/क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्णियाँ जिला में 09 राजस्व ग्रामों से संबंधित 3डी0 प्रस्ताव को अपलोड किया जा रहा है। साथ ही संरचनाओं के मूल्याकन का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पूर्णियाँ को इस परियोजना से संबंधित 3जी0 प्रस्ताव 01 माह के अन्दर तैयार करने का निदेश दिया गया, ताकि प्राक्कलन स्वीकृति ससमय प्राप्त की जा सके।

इस परियोजना के अन्तर्गत कटिहार जिले में परियोजना निदेशक, एन0 एच0 ए0 आई0, पूर्णियाँ के क्षेत्रान्तर्गत 31 राजस्व ग्रामों में 222.60 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि 25 राजस्व ग्रामों से संबंधित 3जी0 प्राक्कलन प्रस्ताव CALA, कटिहार के कार्यालय में लंबित है। शेष 06 राजस्व ग्रामों से संबंधित 3डी0 अधिसूचना प्रकाशन हेतु एन0 एच0 ए0 आई0 के मुख्यालय में भेजी गयी है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि परियोजना से संबंधित सभी सूचना विभागीय सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने की कार्रवाई की जा रही है। अर्जनाधीन भूमि के प्रकृति निर्धारण के संबंध में जिला स्तरीय समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है। परियोजना के एलाईमेन्ट में पड़ने वाले संरचनाओं का मूल्याकंन प्रक्रियाधीन है।

इस परियोजना के अन्तर्गत कटिहार जिले में परियोजना निदेशक, एन0 एच0 ए0 आई0, साहेबगंज के क्षेत्रान्तर्गत 09 राजस्व ग्रामों में 131.96 एकड़ भूमि का अर्जन किया जा रहा है। जिसके लिए प्राप्त 39.43 करोड़ में से अबतक 29.84 करोड़ की राशि का व्यय किया जा चुका है। इस परियोजना के अन्तर्गत 01 राजस्व ग्राम से संबंधित दर निर्धारण की कार्रवाई लंबित है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, कटिहार को अवशेष मुआवजा राशि का भुगतान 02 माह के अन्दर पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

XXV. **एन0एच0–333B (गंगा नदी पर निर्माणाधीन रेल–सह–सड़क पुल का पहुँच पथ–बेगूसराय एवं मुंगेर) :–**

इस परियोजना के अन्तर्गत मुंगेर जिले में 34 राजस्व ग्रामों में भू–अर्जन एवं भू–हस्तांतरण की कार्रवाई की जा रही है। बैठक में उपस्थित जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा बताया गया कि 34 ग्रामों में से 12 ग्रामों से संबंधित 3जी0 प्राक्कलन प्रस्ताव पर

स्वीकृति प्राप्त है। एन0 एच0 ए0 आई0 के द्वारा कुल स्वीकृत राशि–64.09 करोड़ के विरूद्ध 20.21 करोड़ का वितरण किया जा चुका है। 08 ग्रामों से संबंधित प्राक्कलन प्रस्ताव में भूमि के वर्गीकरण (विकासशील) के बिन्दु पर एन0 एच0 ए0 आई0 द्वारा कतिपय आपत्तियाँ की गयी है। 02 राजस्व ग्रामों में कृषि विभाग की भूमि का हस्तांतरण किया जाना है। 01 राजस्व ग्राम में गैर मजरूआ आम भूमि का अर्जन किया जाना है। 07 राजस्व ग्रामों में टोपोलैण्ड भूमि है, जिसके संबंध में विभाग से मार्गदर्शन की मांग की गयी है। 04 राजस्व ग्रामों से संबंधित 3डी0 प्रस्ताव 30 जून तक तैयार कर लिया जायेगा।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर को उपलब्ध शेष राशि 01 माह के अन्दर वितरित करने का निदेश दिया गया एवं टोपो लैण्ड भूमि के संबंध में विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये मार्गदर्शन के आलोक में तत्काल कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग की भूमि के हस्तांतरण हेतु अभिलेख तैयार कर प्रमण्डलीय आयुक्त के माध्यम से यथाशीघ्र राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध कराने का भी निदेश दिया गया।

इस परियोजना के अन्तर्गत बेगूसराय जिले में 05 राजस्व ग्रामों से संबंधित 3जी0 प्राकक्लन प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरान्त मुआवजा राशि का वितरण किया जा रहा है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा बताया गया कि एन0 एच0 ए0 आई0 द्वारा स्वीकृत राशि–64.35 करोड़ में से 4.67 करोड़ का वितरण किया जा चुका है।

उन्हें 02 माह में सम्पूर्ण मुआवजा राशि का वितरण सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। साथ ही इस परियोजना के अन्तर्गत आ रही सिंचाई विभाग की 14.44 एकड़ भूमि के हस्तांतरण हेतु प्रमण्डलीय आयुक्त के माध्यम से प्रस्ताव यथाशीध्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

XXVI. <u>पटना (बाढ़–बख्तियारपुर नई बड़ी रेल लाईन):–</u>

इस परियोजना के अन्तर्गत 07 राजस्व ग्रामों में भू–अर्जन हेतु रेलवे द्वारा 23.10 करोड़ की राशि वर्ष–2016 में ही जमा की गयी थी। इसके अन्तर्गत 19.99 एकड़ भूमि का अर्जन प्रक्रियाधीन है। भू–अर्जन की अद्यतन स्थिति के संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना द्वारा बताया गया कि 04 राजस्व ग्रामों में पंचाट घोषित किया जा चुका है एवं रेलवे से प्राप्त 22.34 करोड़ में से 9.68 करोड़ मुआवजा राशि का वितरण किया जा चुका है। शेष 03 राजस्व ग्रामों मोहम्मदपुर, मिरदाहाचक एवं जमालपुर में प्राक्कलन की कार्रवाई की जा रही है।

बैठक में उपस्थित रेलवे के मुख्य अभियंता द्वारा सबनीमा ग्राम में प्राथमिकता के आधार पर मुआवजा भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को 01 माह के भीतर मुआवजा भुगतान एवं दखल–कब्जा के लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

XXVII. <u>पटना (नेउरा दनियावाँ रेल लाईन) :–</u>

इस परियोजना के अन्तर्गत पटना जिला में कुल–45 राजस्व ग्रामों में 545.15 एकड़ भूमि का अर्जन किया जा रहा है। 44 राजस्व ग्रामों से संबंधित पंचाट घोषित किया जा चुका है एवं प्राप्त 117.39 करोड़ में से 101.51 करोड़ राशि का वितरण किया जा चुका है।

बैठक में उपस्थित रेलवे के मुख्य अभियंता द्वारा शेष मुआवजा राशि के शीघ्र भुगतान एवं 01 राजस्व ग्राम–चामुचक में भू–अर्जन की प्रक्रिया यथाशीघ्र प्रारम्भ करने का अनुरोध किया गया।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा चामुचक में भू–अर्जन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु विभागीय निदेश के आलोक में यथाशीघ्र कार्रवाई प्रारम्भ करने एवं इस

परियोजना से संबंधित अवशेष मुआवजा राशि का वितरण यथाशीघ्र सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

XXVIII. <u>नवादा (राजगीर–तिलैया रेल लाईन) :–</u>

इस परियोजना के अन्तर्गत नवादा जिला में कुल–13 राजस्व ग्रामों में 182.99 एकड़ भूमि का अर्जन किया जा रहा है जिसमें से 176.365 एकड़ का दखल–कब्जा दिया जा चुका है। प्राप्त 11.93 करोड़ में से 7.80 करोड़ राशि का वितरण किया जा चुका है।

बैठक में उपस्थित रेलवे के मुख्य अभियंता द्वारा शेष मुआवजा राशि के शीघ्र भुगतान का अनुरोध किया गया।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा इस परियोजना से संबंधित अवशेष मुआवजा राशि का वितरण यथाशीघ्र सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

XXIX. <u>नवादा (तिलैया–कोडरमा रेल लाईन) :–</u>

इस परियोजना के अन्तर्गत नवादा जिला में कुल–30 राजस्व ग्रामों में 335.085 एकड़ भूमि का अर्जन किया जा रहा है। सभी का दखल कब्जा दिया जा चुका है। प्राप्त 16.66 करोड़ में से 10.01 करोड़ राशि का वितरण किया जा चुका है।

बैठक में उपस्थित रेलवे के मुख्य अभियंता द्वारा शेष मुआवजा राशि के शीघ्र भुगतान का अनुरोध किया गया।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा इस परियोजना से संबंधित अवशेष मुआवजा राशि का वितरण यथाशीघ्र सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

XXX. <u>गया (बंधुआ से पैमार रेलवे लाईन बाईपास):–</u>

इस परियोजना के अन्तर्गत गया जिले के मानपुर अंचल में कुल–13 राजस्व ग्रामों में भू–अर्जन की कार्रवाई की जा रही है। प्रथम चरण में 04 राजस्व ग्रामों में 4.379 एकड़ भूमि के भू–अर्जन की प्रकिया प्रारम्भ की गयी थी जिससे संबंधित पंचाट घोषित किया जा चुका है। रेलवे से प्राप्त 4 करोड़ राशि में से 1.82 करोड़ का वितरण किया जा चुका है। रेलवे को सभी 04 राजस्व ग्रामों में भूमि का दखल–कब्जा दिया जा चुका है। अवशेष मुआवजा भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इस परियोजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण में 09 राजस्व ग्रामों क्रमशः–लखनपुर, रसलपुर, बैजल तेतरिया, मसौथा कला, इगुना, मंझौली, गंजास, मिर्जापुर एवं बंधुआ में कुल– 75.03 एकड़ भूमि का अर्जन प्रस्तावित है। भू–अर्जन से संबंधित प्रारम्भिक अधिसूचना निर्गत की जा चुकी हैं एवं पुनर्वासन एवं पुर्नव्यवस्थापन स्कीम पर आयुक्त, मगध प्रमण्डल की स्वीकृति प्राप्त है। शीध्र ही, अधिघोषणा का प्रकाशन कर दिया जायेगा एवं अक्टूबर तक पंचाट घोषणा कर दी जायेगी।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 03 माह में भू–अर्जन की कार्रवाई पूर्ण कर रेलवे को भूमि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही प्रथम चरण से संबंधित अवशेष मुआवजा राशि का भुगतान भी 01 माह के अन्दर सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

XXXI. <u>गया (राजगीर हिसुआ तिलैया):–</u>

इरा परियोजना के अन्तर्गत गया जिले के 22 राजस्व ग्रामों में भू–अर्जन की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है एवं रेलवे को भूमि का दखल–कब्जा दिया जा चुका है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गया द्वारा बताया गया कि मात्र एक रैयत का मुआवजा भुगतान लंबित है जिसे एक सप्ताह में निष्पादित करते हुए रेलवे को प्रश्नगत परियोजना से संबंधित लेखा विवरणी उपलब्ध करा दी जायेगी।

XXXII. <u>गया (इस्लामपुर–नटेसर रेलवे लाईन):–</u>

इस परियोजना के अन्तर्गत गया जिले के 07 राजस्व ग्रामों में भू–अर्जन की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है एवं रेलवे को भूमि का दखल–कब्जा दिया जा चुका है। जिला भू–अर्जन

पदाधिकारी, गया को प्रश्नगत परियोजना से संबंधित लेखा विवरणी रेलवें को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

XXXIII. **शेखपुरा (बिहारशरीफ–बरबीघा–शेखपुरा रेल लाईन):–**

इस परियोजना के अन्तर्गत शेखपुरा जिले में 24 कि0 मी0 रेल लाईन का निर्माण किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत कुल–28 राजस्व ग्रामों में कुल–262.22 एकड़ भूमि का अर्जन किया जा रहा है। जिसके लिए प्राप्त कुल–36.78 करोड़ की राशि में से 29.46 करोड़ राशि का व्यय किया जा चुका है।

बैठक में उपस्थित रेलवे के मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि नारायणपुर गॉव को छोड़कर शेष सभी स्थलों पर रेल लाईन का निर्माण पूर्ण है। नारायणपुर के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 सं0–3860/2015 में पारित "Status quo" के आदेश के कारण रेलवे को भूमि का दखल–कब्जा नही दिया जा सका है। मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि कुल 255 रैयतों में 101 रैयत ही उच्च न्यायालय में गये हैं। अतः शेष रैयतों को मुआवजा की राशि तत्काल भुगतान करना अपेक्षित है। यदि वे भुगतान नहीं लेते हैं तो मुआवजा राशि को संबंधित LARR प्राधिकार के न्यायालय में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

बैठक में उपस्थित रेलवे के मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत परियोजना से संबंधित 20 मामले एल0 ए0 आर0 आर0 प्राधिकार, मुंगेर के न्यायालय में लंबित है। जिसके यथाशीघ्र निष्पादन हेतु जिला स्तर से उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बैठक में उपस्थित जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को उक्त के आलोक में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

XXXIV. **नालन्दा (दनियांवा–बिहारशरीफ रेल लाईन):–**

इस परियोजना के अन्तर्गत नालन्दा जिले में 04 राजस्व ग्रामों में कुल–62.093 एकड़ भूमि का अर्जन किया जा रहा है। जिसके लिए भू–अर्जन की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है एवं रेलवे को दखल–कब्जा दिया जा चुका है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा बताया गया कि मौजा–मोहिद्दीनपुर में 0.175 एकड़ भूमि से संबंधित पंचाट घोषित है। परन्तु भुगतान हेतु वांछित 10.93 लाख की राशि रेलवे से अप्राप्त रहने के कारण मुआवजा भुगतान लंबित है। मौजा–दामोदरपुर बल्धा में 04 रैयतों का मुआवजा भुगतान लंबित रहने के संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि 01 रैयत के पास भूमि से संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं है एवं 03 रैयतों द्वारा व्यवसायिक दर पर मुआवजा की मांग की जा रही है।

बैठक में उपस्थित रेलवे के मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि रेलवे की किसी अन्य परियोजना हेतु उपलब्ध राशि में से उक्त राशि ले कर मुआवजा का भुगतान किया जा सकता है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, नालन्दा को रेलवे की अन्य परियोजना हेतु उपलब्ध राशि में से इस परियोजना के लंबित मामलों के निष्पादन हेतु आवश्यक राशि लेकर मुआवजा भुगतान करने का निदेश दिया गया एवं इस आशय की सूचना रेलवे को देने का निदेश दिया गया। जिन मामलों में रैयतों द्वारा मुआवजा भुगतान प्राप्त करने से इन्कार किया जा रहा है, उन मामलों को एल0 ए0 आर0 आर0 प्राधिकार में संदर्भित करने का निदेश दिया गया।

XXXV. **नालन्दा (बिहारशरीफ–बरबीघा रेलवे लाईन):–**

इस परियोजना के अन्तर्गत नालन्दा जिले के 02 राजस्व ग्रामों में 24.455 एकड़ भूमि के अर्जन की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है एवं रेलवे को भूमि का दखल–कब्जा दिया जा चुका है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, नालन्दा को प्रश्नगत परियोजना से संबंधित लेखा विवरणी रेलवें को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

XXXVI. **सारण (छपरा–मुजफ्फरपुर नई बड़ी रेल लाईन):–**

इस परियोजना के अन्तर्गत सारण जिले में कुल–46 राजस्व ग्रामों में भू–अर्जन की कार्रवाई की जानी है। जिसके विरूद्ध भू–अर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत 22 मौजों में भू–अर्जन की प्रकिया पूर्ण की जा चुकी है। भू–अर्जन अधिनियम 2013 के अन्तर्गत 24 राजस्व ग्रामों में भू–अर्जन हेतु प्राप्त प्रस्ताव में से 01 राजस्व ग्राम–शेरपुर में मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की जा रही है एवं 15 दिनों में दखल–कब्जा दे दिया जायेगा। विशनपुरा एवं गरखा में जुलाई माह के अन्त तक मुआवजा भुगतान पूर्ण कर दखल–कब्जा दिया जा सकेगा। शेष राजस्व ग्रामों में से 02 में अधिसूचना का प्रकाशन किया जा रहा है एवं 05 में एस0 आई0 ए0 की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 13 राजस्व ग्रामों में एस0 आई0 ए0 कार्य हेतु ऐजेन्सी का चयन कर लिया गया है।

बैठक में उपस्थित रेलवे के उप मुख्य अभियंता द्वारा शेरपुर, विशनपुरा एवं गरखा में प्राथमिकता के आधार पर दखल–कब्जा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सारण को उक्त 03 राजस्व ग्रामों में प्राथमिकता के आधार पर भू–अर्जन की प्रकिया पूर्ण करते हुए रेलवे को दखल कब्जा उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

XXXVII. **सारण (मशरख–महराजगंज रेल लाईन):–**

इस परियोजना के अन्तर्गत सारण जिले में कुल–06 राजस्व ग्रामों में 29.88 एकड़ भूमि के अर्जन की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है एवं रेलवे को दखल–कब्जा भी दिया जा चुका है। 04 राजस्व ग्रामों में शतप्रतिशत मुआवजा भुगतान किया जा चुका है, जबकि 02 राजस्व ग्रामों में मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की जा रही है।

जिला भू–अर्जन, पदाधिकारी, सारण को शेष मुआवजा राशि का भुगतान पूर्ण करते हुए रेलवे को लेखा विवरणी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

XXXVIII. **सिवान (महराजगंज–मशरख रेल लाईन):–**

इस परियोजना के अन्तर्गत सिवान जिले में कुल–35 राजस्व ग्रामों में 295.83 एकड़ भूमि के अर्जन की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है एवं रेलवे को भूमि का दखल–कब्जा भी दिया जा चुका है। मुआवजा भुगतान हेतु प्राप्त राशि 109.65 करोड़ में 47.66 करोड की राशि का वितरण किया जा चुका है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सिवान अवशेष मुआवजा राशि का भुगतान 02 माह में सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

XXXIX. **गोपालगंज (हथुआ–भटनी नई रेल लाईन):–**

इस परियोजना के अन्तर्गत गोपालगंज जिले में कुल–459.1 एकड़ भूमि के अर्जन की कार्रवाई की जानी है। प्रथम चरण में 40 मौजों में पंचाट घोषित किया जा चुका है। 07 राजस्व ग्रामों में पंचाट घोषणा इस माह के अन्त तक कर दी जायेगी। द्वितीय चरण में प्राप्त 40 प्रस्तावों पर एस0 आई0 ए0 की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा बताया गया कि इस प्ररियोजना के लिए प्राप्त 100.88 करोड़ में से 28.5 करोड़ की राशि का वितरण किया जा चुका है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज को अवशेष मुआवजा राशि का वितरण त्वरित गति से करने का निदेश दिया गया।

XL. **वैशाली (हाजीपुर–सुगौली रेल लाईन):–**

इस परियोजना के अन्तर्गत वैशाली जिले में कुल 30 कि0 मी0 लंबित रेल लाईन का निर्माण किया जाना है। जिसके लिए कुछ स्थलों को छोड़कर भू–अर्जन की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है।

बैठक में उपस्थित रेलवे के मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत वैशाली जिले के अरड़ा में 5.75 एकड़ भूमि के भू–अर्जन की कार्रवाई लंबित रहने के कारण 275 मीटर में कार्य बाधित है। घोसबर राजस्व ग्राम में 4.3 एकड़ भूमि का अर्जन

लंबित है। जिसके कारण 620 मीटर में कार्य प्रभावित है। घटारों में मुआवजा का भुगतान गलत भू–धारी को कर दिये जाने के कारण वास्तविक भू–धारी द्वारा लगभग 50 मीटर में कार्य को प्रभावित किया जा रहा है। पकड़ीकंठ में भू–धारी द्वारा अर्जित भूमि के रकवा को लेकर विवाद उत्पन्न किये जाने के कारण लगभग 100 मीटर मे कार्य प्रभावित है। रामपुर जुरावन में भू–धारी द्वारा संरचना के मूल्याकण को लेकर लगभग 50 मीटर में कार्य प्रभावित की जा रही है। बसाढ़ में 7.23 एकड़ भूमि का अर्जन लंबित है।

उपरोक्त के संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, वैशाली द्वारा बताया गया कि अरड़ा में भूमि के स्वामित्व के संबंध में विवाद के कारण भू–अर्जन की प्रक्रिया बाधित है। प्रश्नगत भूमि खतियान में गैर मजरूआ आम/श्मशान की भूमि है जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा लगान निर्धारित कर दिया गया है एवं अपर समाहर्त्ता, वैशाली द्वारा संबंधित रैयत को मुआवजा भुगतान करने का आदेश प्रारित कर दिया गया है। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से मार्गदर्शन की मांग की गयी है। मौजा–घोसबर में भू–अर्जन के संबंध मे बताया गया कि प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन जुलाई माह में कर दिया जायेगा। घटारो एवं पकरीकंठ में रेलवे द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। रामपुर जुरावन में 15 दिनों के अन्द विवाद का निपटारा कर दिया जायेगा। बसाढ़ में भू–अर्जन हेतु एस0 आई0 ए0 प्रतिवेदन प्राप्त है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, वैशाली को बसाढ़ एवं घोसवर में भू–अर्जन की कार्रवाई को त्वरित गति से पूर्ण करने का निदेश दिया गया ताकि रेलवे को भूमि का दखल–कब्जा यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जा सके। अन्य स्थलों पर भू–धारियों द्वारा कार्य में उत्पन्न किये जा रहे गतिरोध को दूर करने हेतु पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर कार्य सम्पादित कराने का निदेश दिया गया।

XLI. **<u>वैशाली (हाजीपुर–रामदयालू रेलवे लाईन):–</u>**

इस परियोजना के अन्तर्गत वैशाली जिले में भू–अर्जन के संबंध में बैठक में उपस्थित रेलवे के मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि भगवानपुर में शीतलपुर सुगर वर्कस लिमिटेड गरौल के नाम से दर्ज 1.14 एकड़ भूमि का हस्तांतरण लंबित है।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, वैशाली द्वारा इस संबंध में बताया गया कि गन्ना उद्योग विभाग से अनापत्ति अप्राप्त रहने के कारण अग्रतर कार्रवाई लंबित है। इस परियोजना के अन्तर्गत अन्य स्थलों पर भू–अर्जन की कार्रवाई प्रकियाधीन है एवं रैयतों को भू–अर्जन अधिनियम की धारा–21 के अन्तर्गत नोटिस निर्गत किया गया है। माह जुलाई में भू–अर्जन की प्रकिया पूर्ण कर ली जायेगी।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, वैशाली चीनी मिल की भूमि का दखल–कब्जा रेलवे को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया एवं भू–अर्जन की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करते हुए माह जुलाई के अन्त तक रेलवे को शेष भूमि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

XLII. **<u>पश्चिम चम्पारण (पनियांवा–छितौनी–तमकुही रोड़ न्यू लाईन):–</u>**

बैठक में उपस्थित रेलवे के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत पश्चिम चम्पारण जिले के 13 राजस्व ग्रामों में 381.12 एकड़ भूमि का अर्जन किया जाना है। अर्जित की जाने वाली भूमि में से 8 राजस्व ग्रामों की 204.62 एकड़ का अर्जन किया जा चुका है। परन्तु जमाबंदी रेलवे के नाम से नहीं किया गया है। शेष 5 राजस्व ग्रामों की 176.51 एकड़ भूमि का अर्जन लंबित है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण को इस परियोजना से संबंधित 53.20 एकड़ सरकारी भूमि के हस्तांतरण हेतु कार्रवाई यथाशीघ्र सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। साथ ही अवशेष रैयती भूमि के अर्जन हेतु कार्रवाई प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया।

XLIII. **<u>मधुबनी (जयनगर वर्दीवास रेल लाईन):–</u>**

इस परियोजना के अन्तर्गत मधुबनी जिले के 02 राजस्व ग्रामों में भूमि का अर्जन किया गया है। परन्तु सरकारी भूमि का हस्तांतरण लंबित है। बैठक में उपस्थित जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी को सरकारी भूमि के हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव यथाशीघ्र राजस्व विभाग को उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

XLIV. **<u>पूर्वी चम्पारण (हाजीपुर-सुगौली रेल लाईन):-</u>**

इस परियोजना के अन्तर्गत पूर्वी चम्पारण जिला में 21 राजस्व ग्रामों में भूमि का अर्जन प्रस्तावित है। 06 राजस्व ग्रामों में एस० आई० ए० प्रतिवेदन प्राप्त है। एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया गया है। शेष ग्रामों का एस० आई० ए० प्रक्रियाधीन है।

XLV. **मुजफ्फरपुर (हाजीपुर-सुगौली रेल लाईन):-**

इस परियोजना के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर जिला में 58 राजस्व ग्रामों में भूमि का अर्जन किया जा रहा है। 57 राजस्व ग्रामों का प्राक्कलन स्वीकृत है। भू-अर्जन हेतु प्राप्त कुल राशि-99.52 करोड़ में से 79.92 करोड़ राशि का वितरण किया जा चुका है। 01 राजस्व ग्राम (मथुरापुर) में पंचाट घोषणा की कार्रवाई लंबित है। प्राथमिकता के आधार पर मुआवजा भुगतान हेतु 08 राजस्व ग्रामों में कैम्प का आयोजन किया जा रहा है।

XLVI. **मुजफ्फरपुर (छपरा-मुजफ्फरपुर रेल लाईन):-**

इस परियोजना के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर जिला में 26 राजस्व ग्रामों में भूमि का अर्जन किया जा रहा है। भू-अर्जन हेतु प्राप्त कुल राशि-41.03 करोड़ में से 15.16 करोड़ राशि का वितरण किया जा चुका है। प्राथमिकता के आधार पर मुआवजा भुगतान हेतु कैम्प का आयोजन किया जा रहा है।

XLVII. **मुजफ्फरपुर (मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी नई रेल लाईन):-**

इस परियोजना के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर जिला में 69 राजस्व ग्रामों में भूमि का अर्जन किया जा रहा है। भू-अर्जन हेतु प्राप्त कुल राशि-20.16 करोड़ में से 18.35 करोड़ राशि का वितरण किया जा चुका है। 69 प्रस्ताव में से 59 प्रस्ताव का पंचाट घोषित कर 100 प्रतिशत मुआवजा भुगतान किया जा चुका है। शेष 10 प्रस्ताव में प्राक्कलन स्वीकृत है। स्वीकृत प्राक्कलन के आलोक में रेलवे से बार-बार शेष राशि की मांग की जा रही है। राशि अबतक अप्राप्त है।

XLVIII. **किशनगंज (अररिया-गलगलिया न्यू बी जी रेल लाईन):-**

इस परियोजना के अन्तर्गत किशनगंज जिला में 16 राजस्व ग्रामों में 365.6986 एकड़ भूमि का अर्जन आपात प्रक्रियान्तर्गत किया जा रहा है। ठाकुरगंज अंचल के विभिन्न मौजों में अधिग्रहित की जा रही भूमि का वर्गीकरण छः सदस्यीय समिति द्वारा किया जा रहा है।

XLIX. **गया (डी० एफ० सी० सी० कोलकाता जोन):-**

बैठक में उपस्थित रेलवे के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत गया जिले के 80 राजस्व ग्रामों में कुल-277.26 एकड़ रैयती भूमि का अर्जन किया जाना है। साथ ही 83.39 एकड़ सरकारी भूमि में से 28.88 एकड़ भूमि तथा 90.32 एकड़ रैयती भूमि का दखल-कब्जा रेलवे को प्राप्त हुआ है तथा 777.24 करोड़ में से मात्र 172.15 करोड़ राशि का वितरण किया गया है। मुआवजा का भुगतान यथाशीघ्र करने का अनुरोध भी किया गया। मानपुर वार्ड नं0-30 के प्राक्कलन के संबंध में रेलवे के पदाधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि मुआवजा भुगतान कर दखल-कब्जा यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाय। 22 राजस्व ग्रामों से संबंधित प्राक्कलन स्वीकृति हेतु लंबित है। इसे शीघ्र निष्पादित करने का भी अनुरोध किया गया।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गया को यथाशीघ्र मुआवजा भुगतान करने तथा भूमि का दखल-कब्जा रेलवे को देने का निदेश दिया गया।

L. **औरंगाबाद (डी0 एफ0 सी0 सी0):–**

बैठक में उपस्थित रेलवे के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत औरंगाबाद जिले में कुल–163.63 एकड़ भूमि का अर्जन किया जाना है। अर्जित की जाने वाली 21.00 एकड़ सरकारी भूमि में से 15.08 एकड़ भूमि तथा 106.74 एकड़ रैयती भूमि में से 37.30 एकड़ का दखल–कब्जा रेलवे को प्राप्त है। उनके द्वारा मुआवजा का भुगतान यथाशीघ्र करने का अनुरोध किया गया। जमहौर की भूमि की प्रकृति के संबंध में बताया गया कि भूमि की प्रकृति 20ई0 के अनुसार धनहर (कृषि) होनी चाहिए क्योंकि वर्त्तमान में उक्त भूमि कृषि की है जबकि पंचाट घोषणा आवासीय या आवास रहित के आधार पर किया गया है। राजस्व ग्राम गमहरिया के लंबित मुआवजा भुगतान का निष्पादन यथाशीघ्र करने का अनुरोध किया गया। सरकारी भूमि का हस्तांतरण भी शीघ्र करने का अनुरोध किया गया।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को यथाशीघ्र मुआवजा भुगतान करने तथा भूमि का दखल–कब्जा रेलवे को देने का निदेश दिया गया।

LI. **कैमूर (डी0 एफ0 सी0 सी0):–**

बैठक में उपस्थित रेलवे के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत कैमूर जिले में कुल–205.3581 एकड़ भूमि का अर्जन किया जाना है जिसमें 203.52 एकड़ का दखल–कब्जा रेलवे को प्राप्त हुआ है। उपलब्ध करायी गयी कुल राशि–110.24 करोड़ में से 106.03 करोड़ का वितरण किया गया है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, कैमूर को यथाशीघ्र अवशेष मुआवजा भुगतान करने का निदेश दिया गया।

LII. **रोहतास (डी0 एफ0 सी0 सी0):–**

बैठक में उपस्थित रेलवे के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत कैमूर जिले में कुल–252.5575 एकड़ भूमि का अर्जन किया जाना है जिसमें 249. 8557 एकड़ का दखल–कब्जा रेलवे को प्राप्त हुआ है। उपलब्ध करायी गयी कुल राशि–119.00 करोड़ में से 106.00 करोड़ का वितरण किया गया है। उनके द्वारा मुआवजा का भुगतान यथाशीघ्र करने का अनुरोध किया गया।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, रोहतास को यथाशीघ्र मुआवजा भुगतान करने तथा भूमि का दखल–कब्जा रेलवे को देने का निदेश दिया गया।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सीतामढी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया एवं किशनगंज के जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को एस0 एस0 बी0 से संबंधित भू–अर्जन के लंबित मामलों का निष्पादन 02 माह में सुनिश्चित करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

बैठक की कार्रवाई धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त की गयी।

ह0/–
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांक:–....................../रा0, पटना, दिनांक:–...............................2018

प्रतिलिपि:–सभी समाहर्त्ता/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बिहार एवं सक्षम प्राधिकार, भू–अर्जन (CALA) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक,
भू–अर्जन, **बिहार**।

D:\Pappu\Rajeev Pandey\2018\Meeting\Proceeding\25-06-18.docx

ज्ञापांकः–....................../रा0, पटना, दिनांकः–...............................2018

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय पदाधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, डी0–63, प्रथम तल, श्रीकृष्णापुरी पटना–800001 एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी, सड़क परिवहन एवं उच्च पथ मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–....................../रा0, पटना, दिनांकः–...............................2018

प्रतिलिपिः–अधिशाषी अभियंता, सीमांत मुख्यालय, सशस्त्र सीमा बल, तृतीय तल, कर्पूरी ठाकुर सदन, आशियाना–दीघा रोड, पटना–800025 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–....................../रा0, पटना, दिनांकः–...............................2018

प्रतिलिपिः–महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर एवं महाप्रबंधक, उत्तर–पूर्व रेलवे, गोरखपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–....................../रा0, पटना, दिनांकः–...............................2018

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–....................../रा0, पटना, दिनांकः–...............................2018

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–......756....../रा0, पटना, दिनांकः–..13-07..2018

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को ई–मेल एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/7/18

निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।